

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला-बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :- 101/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. करनाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 77 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89 (2), 188 रा. का. अधिनियम पाने वास्ते
अदला-बदली, क्षेत्रफल व सिमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा।

तारिख रजू :- 17.11.2022

अधिवक्ता

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अपीलान्त
02. तहसीलदार धोरीमन्ना प्रतिवादी



— :: निर्णय :: —

दिनांक :- 30.04.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89 (2), 188 रा. का. अधिनियम पाने वास्ते अदला-बदली, क्षेत्रफल व सिमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी का खेत ग्राम गडरा पटवार नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 81/2 क्षेत्रफल 0.4047 हेक्टेयर रकबा 2-10 बीघा किस्म बा. सोयम लगान 0.12 रूपया का आया हुआ है उक्त खसरो की वर्तमान जमाबंदी व नक्शा साथ पेश है कि प्रतिवादी की जमीन ग्राम गडरा पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 81/1 क्षेत्रफल 0.4856 हेक्टेयर रकबा 3-00 बीघा किस्म मार्ग खाता संख्या 49 की भूमि आई हुई है जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा उक्त खसरो की वर्तमान जमाबंदी व नक्शा साथ पेश है। कि उपरोक्त दोनो खसरे पुर्व में वादी की आराजी के एक ही खसरे का भाग था परन्तु जब सड़क के लिए भूमि अवाप्त की तो वादी का खसरा संख्या 81/2 क्षेत्रफल 0.4047 हेक्टेयर रकबा 2-10 बीघा तथा सरकार का 81/1 क्षेत्रफल 0.4856 हेक्टेयर रकबा 3-00 बीघा राजस्व रिकोर्ड में अलग अलग अंकित

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना



हुए। कि भूमि के अवाप्त होने के बाद कुछ समय बाद जब मौके पर सड़क का निर्माण शुरू किया तो प्रतिवादी द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने सरकारी खसरे की जगह वादी के खसरा 81/2 में निर्माण कर दिया तथा प्रतिवादी के नाम दर्ज खसरा को खाली छोड़ दिया यानि वर्तमान में सड़क वादी के खसरा संख्या 81/2 में चल रही है तथा प्रतिवादी का खसरा 81/1 में वादी का कब्जा है। कि कुछ समय पूर्व वादी ने जब अपनी भूमि का नाप करवाया तब विवादग्रस्त त्रुटि की जानकारी हुई तथा राजस्व विभाग को उक्त त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन किया परंतु आश्वासन देते रहे वादी की भूमि से यदि प्रतिवादी को बेदखल किया भी जावे तो वादी की भूमि में मुरड़ा, पत्थर, डामर-तारकोल व बड़े बड़े पत्थर व पकी सड़क बनाने से उक्त आराजी को किसी भी रूप में उपयोग नहीं लिया जा सकता है जो काश्त के लिए उपयुक्त व सुविधाजनक नहीं रही है इसीलिए कब्जा काश्त अनुसार अदला बदली करने से किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है इसीलिए वादी खसरों की अदला बदली कर दुरस्त कर सीमाएं सही करने हेतु घोषणा करवाने के अधिकारी है। कि उक्त वादपत्र के साथ सलग्न नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ में खसरा संख्या 81/2 में बरंग लाल की जगह 2-10 बीघा व खसरा संख्या 81/1 में रकबा 0-10 बीघा में सड़क बनी हुई है जो संयुक्त रूप से लालरंग से दर्शित है खसरा संख्या 81/1 में शेष रही भूमि 2-10 बीघा नक्शे में बरंग हरा वादी अपने पक्ष में घोषित करवाने का अधिकारी है उस भु-भाग पर वादी के घर, चारवाड़े व सांन बने हुए है इसीलिए वादी के बरंग हरा लट्ठा ट्रेस में कायम किया जाना न्यायोचित होने से यह अदला-बदली तरमीम दुरस्त के साथ घोषणा का वाद पत्र पेश है। कि उक्त पैरा संख्या 06 में वर्णित नजरीये नक्शा में तरमीम दुरस्त व घोषणा होने से दोनो खसरों के रकबा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वर्तमान में वादी का रकबा 2-10 बीघा है तथा दुरस्ती के बाद भी 2-10 बीघा रहेगा प्रतिवादी का भी 3 बीघा है ओर रहेगा इससे उक्त दुरस्ती में किसी प्रकार के तकनीकी रुकावट नहीं है तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्मित सड़क का भु-भाग कायम होने से भविष्य दोनो पक्षों के हित में है तथा उक्त दुरस्ती से वर्षों का विवाद समाप्त हो जायेगा इसीलिए तकनीकी रूप से ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाते समय त्रुटि को दुरस्त करना न्यायोचित है तथा खसरा संख्या 81/1 का रकबा 2-10 बीघा वादी के पक्ष में तथा वादी के खेत खसरा संख्या 81/2 का सम्पूर्ण रकबा 2-10 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में घोषित किया जाना न्यायोचित है। कि वादी के कब्जा काश्त तथा 50 वर्षों के प्रतिकूल कब्जा के सम्बंध में व सड़क विभाग की जोत में क्षेत्रफल सीमा के बारे में वास्तविक तथ्यों की जानकारी हेतु सेटलाईट नक्शा से ठेकेदार की उक्त त्रुटि को प्रमाणित माना है कि वादी के खेत में से सेटलाईट नक्शा व नजरीये नक्शा का गहनता से अध्ययन करने से स्पष्ट प्रमाणित है सेटलाईट नक्शा में वादी के कब्जा का स्पष्ट प्रमाण नजर आ रहा है साथ ही वादी का खेत मौके पर सड़क है इस प्रकार उक्त सड़क भी मौके पर वादी के



सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

खेत में बनी हुई है इसीलिए उक्त सड़क को हटाया जाना विधि समत है परन्तु इसके सरकार को लाखों रूपयों का नुकसान होगा इसीलिए वादी ने नरम रूख रखते हुए वादी के खेत में सड़क है इसीलिए प्रतिकूल कब्जा के नियमानुसार वादी के उक्त कब्जा काशत में प्रतिवादी किसी प्रकार के दखलअंदाजी करने के अधिकारी नहीं है तथा न ही ठेकेदार की भूल की वजह से वादी के कब्जा काशत में दखलअंदाजी कर सकते हैं इस प्रकार ठेकेदार द्वारा की गई त्रुटि व सीमा सम्बंधि विवाद के कारण गलत इन्द्राज के आधार पर घोषणा से पूर्व वादी के कब्जा काशत में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तथा प्रतिवादी को संसोधित सीमा स्थापित करने हेतु व्यादेश जारी करने से पूर्व स्थायी निषेधाज्ञा के अधिकारी होने से यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है, कि वादी की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादी एवं खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें

कि वादी का खसरा संख्या 81/2 की भूमि रकबा 2-10 बीघा की अदला-बदली खसरा संख्या 81/1 की नजरीये नक्शा में वर्णित बरंग हरा रकबा 2-10 बीघा से की जा कर जो खसरा संख्या 81/1 में दर्ज है को वादी के पक्ष में घोषित कर तथा वादी के खसरा संख्या 81/2 में दर्ज 2-10 बीघा भूमि जो वादी के कब्जे में नहीं है प्रतिवादी के पक्ष में घोषित कर जोत की सीमाएं दुरस्त करने का आदेश प्रदान करावें, कि वादी के कब्जा काशत की भूमि नजरीये नक्शा में भू-भाग बरंग हरा में भौतिक कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जावें

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये नोटीस तलब किया गया प्रतिवादी तहसीलदार धोरीमन्ना ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजस्व वाद का विगतवार जवाब पेश किया तथा जवाब पेश करने से पूर्व विवादित स्थल का निरिक्षण कर नाप करवाया गया तथा निरिक्षण व नाप के अनुसार पैरा अनुसार विस्तारित जवाब दिया गया तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपने जवाब में मौके की भौतिक स्थिति अनुसार वाद पत्र की पुष्ठी




की गई तथा जवाब के साथ विशेष कथन में अंकित किया कि उक्त पत्रावली के जवाब हेतु खेत खसरा संख्या 81/1, 81/2 व 337 का मौके पर जाकर अवलोकन किया गया उक्त खेत सड़क का निर्धारण हेतु लट्टा ट्रेस में खेत खसरा संख्या 337 के दक्षिण-पूर्व बिन्दू जो खसरा संख्या 338 व 336 के त्रिकोण पर सेढे का बिन्दू लिया गया जो अपने स्थान पर सही पाया गया जिससे नाप करने पर खेत खसरा संख्या 337 की भूमि पूरी सड़क पर निर्माण किया हुआ है जो खेत खसरा संख्या 81/2 रकबा 2-10 बीघा व खसरा संख्या 81/1 रकबा 0-10 बीघा कुल रकबा 3-00 बीघा में ट्रेस हो रहा है तथा इसके बाद गै.मु. सड़क की सीमा 30 मीटर चौड़ाई को छोड़ने पर उक्त भूमि का खसरा संख्या 81/1 रकबा 2-10

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

बीघा ट्रेस हो रहा है जवाब के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट व नजरिये नक्शा पेश है। अतः प्रतिवादी का जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 81/2 रकबा 2-10 बीघा में सड़क बनी हुई होने का कथन सही होने से खसरा संख्या 81/1 रकबा 2-10 बीघा सड़क की भूमि मौके पर खाली है खसरा संख्या 81/2 रकबा 2-10 बीघा व खसरा संख्या 81/1 में से रकबा 0-10 बीघा कुल रकबा 3-00 बीघा गै.मु. सड़क के नाम व खसरा संख्या 81/1 में से रकबा 2-10 बीघा भूमि वादी के नाम किये जाने हेतु न्यायोचित कार्यवाही का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा पेश दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब व जवाब के साथ सलग्न नक्शा व मौका का अवलोकन किया गया उक्त वाद प्रथम दृष्टया सड़क के गलत खसरे में निर्माण होने से सड़क की भूमि की तरमीम को दुरस्त करने हेतु वादी की भूमि में सड़क भौतिक रूप से बनी हुई होने से वादी का खेत सड़क के पक्ष में तथा सड़क की भूमि विनिमय के रूप में वादी के पक्ष में घोषणा का वाद होने से तथा प्रतिवादी का जवाब वाद को पुष्ट करने वाला होने से तनकीयात नही बनाकर सीधी बहस सुनी गई पत्रावली में सलग्न सेटेलार्ड नक्शा नजरीये नक्शा तथा प्रतिवादी द्वारा मौका रिपोर्ट के समय बनाये गये नक्शे का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया उक्त सड़क हेतु कायम खसरा 81/1 जो वादी के खेत का हिस्सा था तथा वादी के खेत 81/2 में मौके पर सड़क बनी हुई होने से इस खसरे को गै.मु. सड़क दर्ज किया जाना न्याय संगत है तथा सड़क के खसरा 81/1 में बरंग लाल रकबा 0-10 बीघा पर सड़क का हिस्सा है जो 81/2 के सहारे आया हुआ है तथा तहसीलदार द्वारा पेश नक्शे में बरंग लाल है को छोड़कर शेष बरंग हरा जिसमें वादी का कब्जा होने से 81/2 रकबा 2-10 बीघा के बदले एक समान रकबा 81/1 का बरंग हरा रकबा 2-10 बीघा को शेष सड़क से अलग किया जाकर वादी के पक्ष में घोषित करने में कोई असुविधा नही है तथा विवाद भी नही बढ़ेगा तथा समान किस्म व समान रकबा होने से तथा भूमि के बदले भूमि का विनिमय होने से तथा सड़क को परिवर्तन नही किया जा सकने की स्थिति में वाद का वाद स्वीकार योग्य है। तथा तहसीलदार धोरीमन्ना

जवाब के साथ नक्शा निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा उसी अनुसार लट्ठा ट्रेस में दर्ज किया जाना न्याय संगत है।



अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभीमत है कि वादी का वाद उक्त वादपत्र के साथ सलग्न नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ व मौका रिपोर्ट के साथ सलग्न नजरीये नक्शा में खसरा संख्या 81/2 में बरंग लाल की जगह 2-10 बीघा व खसरा संख्या 81/1 में रकबा 0-10 बीघा में सड़क बनी हुई है जो संयुक्त रूप से लालरंग से दर्शित है

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

कुल रकबा 3-00 बीघा गै.मु. सड़क के नाम खसरा संख्या 81/1 में शेष रही भूमि 2-10 बीघा नक्शे में बरंग हरा वादी के पक्ष में घोषित किया जाना उचित व विधि संगत होगा तथा उसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में आदेश में विर्णित विनिमय अनुसार तरमीम दूरस्त कर इन्द्राज किया जाना उचित व विधि संगत होगा तथा वादी के नाम खसरा संख्या 81/1 में से घोषित रकबा 2-10 बीघा बरंग हरा में प्रतिवादी या किराी अन्य द्वारा दखलअंदाजी नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना विधि संगत होगा।

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89 (2), 188 रा. का. अधिनियम पाने वास्ते अदला-बदली, क्षेत्रफल व सिमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा का भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार धोरीमन्ना का जवाब दिनांक 19.09.2023 में संलग्न नजरीये नक्शे अनुसार तरमीम दूरस्त कर इन्द्राज किया जाना उचित व विधि संगत होगा तथा तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पेश जवाब के साथ नक्शा निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा। सैटलमेन्ट के गैर मुमकिन रास्ता को किसी प्रकार से हस्तगत वाद से परिवर्तन नही करे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास :- श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. करनाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 77 वर्ष जाति विश्णोई निवासी गडरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना

मुकदमा नम्बर:- 101/20222

दावा बाबत- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89 (2), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रु-ब-रु पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादी एवं विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार धोरीमन्ना का जवाब दिनांक 19.09.2023 में संलग्न नजरीये नक्शे अनुसार तरमीम दूरस्त कर इन्द्राज किया जाना उचित व विधि संगत होगा तथा तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पेश जवाब के साथ नक्शा निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा। सैटलमेन्ट के गैर मुमकिन रास्ता को किसी प्रकार से हस्तगत वाद से परिवर्तन नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मय
सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक
..... को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.04.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया ।



(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक अधिलेखन अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर